Delivering the NDIS in your community

एनडीआईएस प्रवेश-पूर्व (प्री-एक्सेस) पैक
एसएसआई स्थानीय क्षेत्र समन्वयन (लोक एरिया कोओर्डिनेशन)

इस प्रवेश-पूर्व पैक से आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी कि राष्ट्रीय डिसेबलिटी बीमा योजना (एनडीआईएस) में प्रवेश पाने के लिए, एसएसआई आपकी कैसे सहायता कर सकता है। इसमें यह चर्चा भी की जाएगी कि एसएसआई आपको अपने स्थानीय क्षेत्र में समुदाय और मुख्यधारा के संसाधनों से जुड़ने में किस प्रकार सहायता कर सकता है।

एनडीआईएस क्या है?

एनडीआईएस, स्थायी डिसेबलिटी (विकलाँगता) के साथ जी रहे लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक राष्ट्रीय योजना है।

स्थानीय क्षेत्र समन्वयक (लोकल एरिया कॉर्डिनेटर) क्या होता है?

एसएसआई ने एनएसडब्ल्यू में स्थानीय क्षेत्र समन्वयन (कोओर्डिनेशन) सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिसेबलिटी बीमा एजेंसी (एनडीआईए) के साथ साझेदारी की है। हम 9 से 64 वर्ष की आयु के डिसेबलिटी वाले लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने, उनके स्थानीय क्षेत्र में सहायता से जुड़ने और एनडीआईएस सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करते हैं।

सामुदायिक विकास अधिकारी (कम्युनिटी डवेलपमेंट ऑफिसर) क्या होता है?

एसएसआई के सामुदायिक विकास अधिकारी (सीडीओ) जागरूकता पैदा करके और जानकारी साझा करके सामुदायिक और मुख्यधारा की सहायताओं और सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिसेबलिटी वाले लोगों और व्यापक समाज के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे सामुदायिक विकास अधिकारी समावेशन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हैं। सामुदायिक विकास अधिकारी समुदाय के भीतर चुनौतियों और बाधाओं का समाधान करने के उद्देश्य से परियोजनाओं की योजना बनाने में नेतृत्व और योगदान भी करते हैं।

एनडीआईएस कौन-कौन सी सहायताओं के लिए फंडिंग प्रदान करती है?

एनडीआईएस के अंतर्गत स्थायी और गंभीर डिसेबलिटीज़ वाले लोगों को उचित तथा आवश्यक फंडिंग प्रदान की जाती है ताकि वे अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए ज़रूरी सहायताएँ प्राप्त कर सकें।

पात्रता

एनडीआईएस के लिए पात्र होने हेतु,यह आवश्यक है कि आपको कोई ऐसी डिसेबलिटी हो जो ऐसी किसी एक प्रकार की दुर्बलता, या कई दुर्बलताओं के कारण हुई हो, और उस दुर्बलता या दुर्बलताओं के स्थायी होने की संभावना हो तथा उसका आपके जीवन पर महत्वपूर्ण असर पड़ रहा हो। यह आवश्यक है कि आवेदन करते समय आपकी आयु 65 वर्ष से कम हो, आप आस्ट्रेलिया के नागरिक हों, आपके पास स्थायी वीज़ा या संरक्षित विशेष श्रेणी का वीज़ा हो तथा आप आस्ट्रेलिया में ही रहते हों।

आवेदन कैसे करें?

एसएसआई आपको एनडीआईएस को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में मदद कर सकता है।

हम आपके लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे, आपके वर्तमान समर्थन नेटवर्क पर विचार करेंगे तथा आपके साथ मिलकर समुदाय और मुख्यधारा की उन अतिरिक्त सहायताओं का पता लगाएँगे जिनसे आप जुड़ना चाहेंगे।

हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि एनडीआईएस में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आपको किन सबूतों की आवश्यकता होगी। आपका डॉक्टर, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर और/या विशेष चिकित्सा पेशेवर आपको आवश्यक जानकारी और सबूत तैयार करने और प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।
यह सबूत इस बात की पुष्टि करने वाला होना चाहिए कि आपको डिसेबलिटी होने की पहचान हो चुकी है, और साथ ही इस सबूत से यह भी पता चलना चाहिए कि आपकी डिसेबलिटी का आपके दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि, आपके दैनिक जीवन में आपकी गतिशीलता/मोटर स्किल्स, बातचीत करने, सामाजिक मेल-जोल, सीखने, ख़ुद की देखभाल करने, या अपना काम-काज ख़ुद करने पर कैसे असर पड़ रहा हो सकता है।

एक स्थानीय क्षेत्र समन्वयक (एलएसी) सामुदायिक संपर्क योजना पर चर्चा करने के लिए आपके साथ एक बैठक की व्यवस्था करेगा। सामुदायिक संपर्क योजना में दर्ज जानकारी, आपके जीवन, आपके लक्ष्यों और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए किस प्रकार कार्य करना चाहते हैं, के बारे में होती है। विभिन्न अनौपचारिक, सामुदायिक और मुख्यधारा की सहायताएँ और सेवाएं जो आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद कर सकती हैं, उन्हें भी सूचीबद्ध किया जाता है, ताकि आप यह जान सकें कि आपकी मदद कौन कर रहा है।

जब आप अपने स्वास्थ्य पेशेवर से सहायक सबूत एकत्रित कर लेंगे, तो आपका एल.ए.सी. आपके साथ एक प्रवेश के लिए आग्रह बैठक की व्यवस्था करेगा, ताकि आपके दैनिक जीवन के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सके और यह समझा जा सके कि कौन सी सहायताएँ आपके लिए मददगार हो सकती हैं।

Delivering the NDIS in your community

आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी:

- पहचान के सबूत (आयु और निवास के प्रमाण सहित)। आप इस पैक में शामिल पहचान का प्रमाण तथ्य पत्र देख सकते हैं।
- आपके उपचार करने वाले विशेषज्ञ से इस बात का प्रमाण कि आपकी डिसेबलिटी स्थायी है। इस सबूत में यह भी शामिल होना चाहिए कि यह आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है।

- उपचार करने वाले पेशेवरों के उदाहरणों में शामिल हैं:
  i. बाल चिकित्सक
  ii. मनोचिकित्सक
  iii. मनोविज्ञानी (साइकोलोजिस्ट)
  iv. आक्यूपेशनल थैरेपिस्ट
  v. स्पीच पैथोलोजिस्ट (थैरेपिस्ट)
  vi. फ़िज़ियोथैरेपिस्ट
  vii. सामान्य चिकित्सक (जीपी)

एनडीआईएस की वेबसाइट, "एनडीआईएस के लिए आवेदन करना (Applying to the NDIS)" पर जाने के लिए QR कोड को स्कैन करें:

एनडीआईए के पास अपने सबूत कैसे जमा करवाएँ:

व्यक्तिगत रूप से जाकर: आप एसएसआई एलएसी कार्यालय या एनडीआईए कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आकर हमें अपने मूल पहचान दस्तावेज दिखा सकते हैं। हम राष्ट्रीय दस्तावेज़ सत्यापन सेवा (डीवीएस) का उपयोग करके आपके दस्तावेज़ों की वास्तविकता की जांच करेंगे। यदि आप हमें डीवीएस का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो हमें आपके पहचान दस्तावेजों की प्रतियां लेने की ज़रूरत पड़ेगी।

पहचान दस्तावेजों और सहायक सबूतों की प्रतियां निम्नलिखित तरीकों से भेजी जा सकती हैं:

ईमेल से:

- **पहचान** के **प्रमाण** enquiries@ndis.gov.au पर भेजना आवश्यक है
  स्कैन किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट, पढ़ने में आसान और रंगीन होने आवश्यक हैं। यदि किसी कार्ड या दस्तावेज़ के पीछे कोई जानकारी है तो उसे भी स्कैन करना आवश्यक है।
- स्वास्थ्य पेशेवरों की रिपोर्ट सहित कोई भी सहायक सबूत सीधे आपके एलएसी को ईमेल किया जा सकता है या ssilac@ndis.gov.au पर भेजा जा सकता है।

डाक से: GPO Box 700, Canberra, ACT 2601

मुझे कब पता चलेगा?

एनडीआईएस आपको 21 कार्य दिवसों के भीतर पत्र या ईमेल भेजकर बताएगा कि क्या आप पात्र हैं या आपको अगले चरणों में जाने के साथ-साथ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

यदि मैं एनडीआईएस के लिए पात्र नहीं हूं तो क्या होगा?

एसएसआई आपके स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध ऐसी अन्य सेवाओं का पता लगाने और उनसे जुड़ने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेगा, जो आपके लक्ष्यों की दिशा में काम करने में आपकी सहायता कर सकती हैं। अपने सामुदायिक जुड़ाव योजनाओं (कम्युनिटी कनेक्शन्स प्लेन) में लक्ष्यों को पाने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं यह पता लगाने के लिए हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर "आपकी कहानियाँ (Your Stories)" पृष्ठ पर जाकर इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एसएसआई ने किस प्रकार डिसेबलिटी वाले लोगों को समुदाय और मुख्यधारा की सेवाओं से जुड़ने में सहायता की है।

Delivering the NDIS in your community

हमारे **'आपकी कहानियाँ (Your Stories)' वेबपेज** तक पहुँचने के लिए QR कोड को स्कैन करें :

संकटकालीन सहायताएँ

आपातकालीन सेवाएं:

- यदि आप किसी आपात-स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो पुलिस, एम्बुलेंस या अग्निशमन (फायर) सेवाओं के लिए ट्रिपल जीरो **(000)** पर या टीटीवाई **(106)** पर फोन करें।

- **गैर-आपात-स्थिति पुलिस सहायता लाइन**

  आपात-स्थिति के अलावा पुलिस से संपर्क करने के लिए 131 444 पर कॉल करें।

मानसिक स्वास्थ्य एवं संकटकालीन सहायता:

- **लाइफलाइन (Lifeline) दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन संकटकालीन सहायता**

  13 11 14 पर फ़ोन करें या 0477 131 114 पर टेक्स्ट मैसेज भेजें

  ऑस्ट्रेलिया में कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत संकट से गुजर रहा है, लाइफलाइन (Lifeline) से संपर्क कर सकता है। आप लाइफलाइन (Lifeline) की वेबसाइट www.lifeline.org.au पर प्रशिक्षित संकटकालीन सहायक से ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं।

- **मानसिक स्वास्थ्य लाइन एनएसडब्ल्यू**

  फोन: 1800 011 511

  एनएसडब्ल्यू हैल्थ की दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध फोन सेवा जो लोगों को एनएसडब्ल्यू हैल्थ की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ती है।

- **एबोरीजनल तथा टोरस स्ट्रेट आईलैंडवासियों के लिए एनएसडब्ल्यू मानसिक स्वास्थ्य लाइन**

  13YARN (13 92 76) पर फ़ोन करें

  एनएसडब्ल्यू मानसिक स्वास्थ्य लाइन उन लोगों के लिए दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित सेवा प्रदान करती है जो स्वयं को एक एबोरीजनल और टोरस स्ट्रेट आईलैंडवासी मानते हैं।

- **ट्रांसकल्चरल मानसिक स्वास्थ्य लाइन**

  फोन: 1800 648 911

ट्रांसकल्चरल मानसिक स्वास्थ्य लाइन एक टेलीफोन सेवा है जो न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले तथा सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों से आने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है।

यह लाइन **सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक** खुली रहती है।

- **बच्चों के लिए सहायतालाइन (Kids Helpline)**

  फोन: 1800 55 1800

  बच्चों के लिए दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन, ऑनलाइन गोपनीय सहायता तथा 5 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए फोन पर काउंसलिंग सेवा।

आवास सहायता:

- **लिंक 2 होम (Link 2 Home)**

  फोन: 1800 152 152

  लिंक2होम (Link2home) , प्रतिदिन **सुबह 9 बजे** से **रात 10 बजे** तक फ़ोन करने वालों को पूरे एनएसडब्ल्यू में बेघर लोगों के लिए सहायता और आवास सेवाओं के बारे में जानकारी, मूल्यांकन और रेफरल प्रदान करता है।

  रात्रि 10 बजे से **प्रातः 9 बजे** के बीच लिंक 2 होम (Link 2 Home) केवल सूचना एवं मूल्यांकन प्रदान करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन सेवाओं के पास भेजेगा।

- **समुदाय और न्याय विभाग (Department of Communities and Justice)**

  फोन: 1800 422 322

  एनएसडब्ल्यू में आवासहीनता का समाधान करने तथा सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास सहायता सेवाओं के साथ मिलकर काम करता है।